The question as put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before we take up the next item, I have an announcement to make. If the House agrees, I will request Shri Sukul to preside in my absence, as none of the Members in the Panel is present in the House just now.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): We welcome it.

[The Vice Chairman (Shri P. N. Sukul) in the Chair]

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1987

AND

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1987

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 फरवरी 1987 को प्रख्यापित दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 1987 (1987 का सं०1) का निरनुमोदन करती है ।

श्रीमन्, यह दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1987, 5 फरवरी, 1987 को लागू किया गया था और इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया गया । इस संबंध में मेरा आपत्ति इस बात की है कि 30 जनवरी, 1987 को राष्ट्रपति जी ने वर्तमान संसद् के सत्र के लिए आमंत्रण जारी कर दिया था और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि 23 फरवरी, 1987 को संसद् के दोनों सदनों की बैठक आरम्भ हो जाएगी । इस संदर्भ में मैं संविधान की धारा 123, उपधारा (1) की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है—

123(1)—Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.

"If at any time, except when both Houses of Parlimenat are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessaryfor him to take immeddiate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 130 में दो परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है । एक परिस्थिति तो यह है कि संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का बैठक न हो रही हो और विशेष परिस्थिति हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है । कल ही मंत्री जी, ने इस बारे में एक व्याख्या सदन के समक्ष रखी है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अध्यादेश जारी करने के क्या कारण है । उस व्याख्या के पहले पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन दूसरे पैराग्राफ में व्याख्या की गई है कि मामले के महत्व को देखते हुए राष्ट्रपति ने 5 फरवरी, 1987 को दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1987 प्रख्यापित किया ताकि नगर निगम को विभिन्न पदों पर भर्ती में आने वाली कठिनाइयों का समाना न करना पड़े । इस संबंध में मैं यह तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 5 फरवरी, को यह अध्यादेश जारी किया गया और 23 फरवरी को दोनों सदनों का सत्र बुलाया गया । ऐसी स्थिति में ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं जिनसे विवश होकर आप ने इस संशोधन को सदन के समक्ष उसके पटल पर रखने के बजाय अध्यादेश द्वारा इसमें संशोधन कर दिया ? इस विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका मैंने अध्ययन किया हैं । मुझे कम से कम इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती है कि जिसके लिए 15 दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता हो । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी कठिनाईयां कौन सी दिक्कतें थी, ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनसे विवश होकर आपने यह अध्यादेश जारी किया ? अध्यादेशों के जरिए विधेयकों में संशोधन करना कोई अच्छी परम्परा या परिपाटी नहीं है । जितने भी लोक सभा के अध्यक्ष हुए हैं, माननीय ढिल्लों जी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने

[श्री सत्यप्रकाश मालवीय]

भी इस बात की व्यवस्था दी थी कि किसी भी सरकार को बहुत ही विशेष परिस्थितियों में, आपत्कालिक परिस्थितियों में अध्यादेश के जरिए कानून में संशोधन करना चाहिए । इस संबंध में मैं श्री मावलंकर साहब ने सन 1947 में प्रेजाइडिंग आफिसर्स की कांफ्रेंस में जो टिप्पणी की थी उसका जिक्र करना चाहता हूं और उसको आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं —

"It was obviously a wrong convention for the Executive Government to promulgate Ordinances merely because of shortage of time. That power was to be exercised only when there was an emergency and the Legislature could not meet. It was not a desirable precedent to promulgate Ordinances for want of time, an inconvenient legislation might also be promulgated in that manner."

उसके बाद मान्यवर, 16 नवम्बर, 1971 को जब डा० ढिल्लो लोकसभा के अध्यक्ष थे तो उनको भी इस संबंध में एक व्यवस्था देने का अवसर प्राप्त हुआ था । उनकी व्यवस्था थी कि :

"I agree with you that so many Ordinances should not have been issued....I personally think it is not a light matter to be ignored. Certain observations have been made by my predecessor Shri Mavalankar based on very sound judgment. I would invite the attention of the Government to see that there is real emergency or urgency justifying the issue of an Ordinance."

फिर उसके बाद 22 नवम्बर, 1971 को तत्कालीन अध्यक्ष ने फिर अपनी व्यवस्था द कि :

"All I can say is that I do not approve of an Ordinance just at the time when the House is about to meet."

इस केस में भी बिल्कुल वही बात थी । सत्र होने वाला था और राष्ट्रपति जी ने आमंत्रण जारी कर दिया था । यही नहीं मान्यवर, 13 नवम्बर, 1973 को तत्कालीन अध्यक्ष ने फिर व्यवस्था दी । उस समय भी एक अध्यादेश इसी तरह से लागू किया गया जब कि उसके 10 दिनों के बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला था । अध्यक्ष महोदय ने उस पर आपत्ति की और 13 नवम्बर, 1973 को तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी कि :

"Ordinances by themselves are not very welcome, specially so when the date (for session of the House) is very clear. It is not only clear but is also near. In such cases, unless there are very special reasons, Ordinances should be avoided. This is the ruling which I gave on 22nd November, 1971 and the same was given by my predecessors."

मान्यवर, 1980 में भी लोक सभा के वर्तमान अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ ने भी, जब उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो उन्होंने 17 नवम्बर, 1980 को अपनी व्यवस्था दी कि :

"My distinguished predecessors have made observations in regard to these matters from time to time in the past. They did not approve of the issue of Ordinances on the eve of Parliament session. I agree with them."

तो मान्यवर, मेरी आपत्ति यही है कि जब राष्ट्रपति जी ने 23 फरवरी, को संसद् के सत्र के लिये अपना आमंत्रण जारी कर दिया था और 23 फरवरी को संसद का सत्र प्रारम्भ होने वाला था तो 5 फरवरी को कौन सी विशेष परिस्थिति ऐसी हो गई थी, कौन ऐसी इमरजेन्सी हो गई थी जिसके कारण सरकार 15 दिन इंतजार भी नहीं कर सकती थी । संविधान की धारा 123 की उपधारा (2) के सब क्लाज (1) के अन्तर्गत मेरा यह निरनुमोदन का प्रस्ताव है । मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि मेरा यह जो निरनुमोदन का प्रस्ताव है इसको स्वीकार करने की कृपा की जाय । यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है,

इसते मेरा कोई विरोध नहीं है । विरोध इस लिए नहीं है क्योंकि इससे दिल्ला नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको लाभ होगा । आपने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में इस बात को स्पष्ट किया है कि चौथे वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों का प्रभाव दिल्ला नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर पड़ेगा इसलिए आपको यह करना पड़ रहा है । जहां तक इस संशोधन की बात है मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन अध्यादेश के जरिये जो आप इसे लाये हैं इसका में विरोध करता हूं । मैं आशा करता हूं कि मेरा यह जो प्रस्ताव है आप इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRES (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): Sir, I beg to move:

"That tht Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

The questions were proposedy

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): The Statutory Resolution and the Bill are now open for discussion. Any Member desiring to speak may do so, after which the Mover of the Resolution and the Minister will reply. Shri Sukomal Sen.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill is an innocuous one and is necessary. So, that way, I support it. But while supporting it, I would like to seek some information from the Hon. Minister. This Bill is for the Delhi Municipal Corporation. Now, after the Fourth Pay Commission's recommendations have been accepted by the Government and have been implemented by the Government, I hope they have also been implemented in the case of other Union territories, but I am not sure, and I would like to know from the hon. Minister as to how many other municipal corporations are there like the Municipal Corporation of Delhi where the recommendations of the Fourth Pay Commission are applicable and where too this type of problem may arise.

Then, Sir, so far as the implementation of the recommendations of the Fourth Pay Commission is concerned, so far as the Union territories are concerned, I think this report is not being implemented in regard to the employees of the Union territory of Chandigarh. Of course, it is not connected with this Bill just now. But I may mention that the Fourth Pay Commission report has not been implemented in regard to the employees of the Chandigarh Union territory. They were also Central Government employees and they were also on par with the Central Government employees. The reason perhaps is that since Chandigarh was supposed to be transferred to Punjab the Fourth Pay Commission has refrained from making observations about the employees of the Chandigarh Union Territory. Taking advantage of this plea, the Government hasrefused to implement the report in the case of the employees of the Chandigarh Union territory. The result is that neither Chandigarh has been transferred to Punjab nor have its employees been given the benefit of the Fourth Pay Commission's the Fourth Pay Commission's recommendations. But the fact is that it is still a Union territory and it has not been transferred to Punjab. If and when it is merged and transferred to Punjab, the employees will have the option to remain on the salary structure of the Central Government employees or the Punjab Government employees. That option will be left to them. But meanwhile why should the Government refrain from implementing the recommendations of the Fourth Pay Commission in regard to the employees of the Chandigarh Union territory. It is unjust to do that. Why are they hesitating? The employees of the Union territory and their Unions had

[Shri Sukomal Sen]

a discussion with the Ministry officials also but nothing has been settled yet and the Governor, or the Administrator, he has taken up the issue with the Government of India. He is also supporting the employees' case but still the case has not yet been settled. I would like the Hon. Minister to please enlighten me as to what stands in the way of the Government in implementing te Fourth Pay Commission's Report in the case of the employees of the Chandigarh Union territory.

श्री लक्ष्मी नारायण (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस रिजोल्यूशन की जो माननीय मालवीय जी ने रखा है मुखाल्फत करने और इस बिल के हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बिल बड़ा इन्नोसेंट सा है । मैं समझ नहीं पाया कि मेरे आनरेबल साथी ने कैसे यह प्रस्ताव रख दिया कि इसको मंजूर नहीं करना चाहिए । यदि प्रियेम्बल को देखा जाए और पढ़ा जाए तो उससे साफ पता चलता है कि कारपोरेशन के अन्दर पोस्टों को केटेगरीज में डिवाइड किया गया है और कुछ केटेगरीज ऐसी है जिनका रिक्रुटमेंट के लिए प्रोमोशंस के लिए यू० पी० एस० सी० से सलाह करना या बातचीत करना अनिवार्य रादार यू० पी० एस० सी० से सेलेक्शन होना अनिवार्य है बहुत जरूरी है । भारत सरकार ने चौथा वेतन आयोग बैठाया सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह बढ़ाने के लिए यह दुर्भाग्य का विषय है कि लोकसभा और राज्य सभा के कर्मचारियों का अभी तक वेतनमान का कोई फैसला नहीं हो पाया है, यह अचानक बात आ गई लेकिन सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया, मानने के बाद कारपोरेशन हमेशा से भारत सरकार के आयोगों की सिफारिशात को मानती रही है इस बार भी उन्होंने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन सिफारिशात को सरकार ने मान लिया उनको अपने कर्मचारियों पर लागू कर दिया । यह बड़ा ही सराहनीय कदम है कि उन्होंने इसको लागू किया और कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाए । लेकिन वेतन बढ़ जाने के बाद एक बड़ा भारी इम्बेलेंस पैदा हो गया है । वोपोस्टे जिनका रिक्रुटमेंट कमिश्नर या कोई एक ऐसा अफसर जिनको कमिश्नर की पावर्स डेलीगेट हों वह कर लिया करता था प्रोमोशन कर दिया करता था म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली की स्टेंडिंग कमेटी या अप्वाइंटमेंट एंड डिसीप्लिन एक्शन कमेटी जिनका अप्वाइंटमेंट कर सकती थी । इसको प्रोमोशन दे सकती थी, वे कैटेगरीज भी इन पे स्केल्स के बदल जाने के बाद कैटेगरी 'ए' में चली गयी है जिसके लिए यू० पी० एस० सी० की सलाह लेना बहुत जरूरी हो गया है । अब यह इम्बेलेंस हो जाने से जाहिर बात थी कि भर्ती रुकी, प्रोमोशन्स रुके और जिनके रुक जाने से कारपोरेशन के काम में कुछ ढिलाई पैदा हुई । वैसे तो दिल्ली कारपोरेशन के अंदर ढिलाई पहले से मौजूद थी, इतनी ज्यादा चुस्ती नहीं थी जितनी एन० डी० एम० सी० में । लेकिन फिर भी इसके हो जाने से काम में रुकावट हुई और भारत सरकार ने विशेषकर गृह मंत्रालय ने ठीक ही सोचा कि इन कैटेगरीज को चेंज कर देना चाहिए ताकि कारपोरेशन के काम-काज में रोजमर्रा के काम में रुकावट पैदा न हो । इसलिए कैटेगरीज चेंज करने के लिए आर्डिनेंस इश्यू हुआ । ये कहते हैं कि 5 फरवरी को आर्डिनेंस इश्यू हुआ और 23 फरवरी से सेशन होने वाला था तो इतनी जल्दी क्या हो गयी थी कि उसको लाया गया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि आज 18 मार्च है, 23 फरवरी को सेशन शुरू हुआ उसके बाद भी आज 25 दिन निकल गये और 18 दिन शायद उससे पहले थे । डेढ़ महीने तक कौन इंतजार कर सकता था, नहीं कर सकते थे और यह कर्मचारियों के अपने हित की बात थी । जो सम्मानित साथी हमेशा ही कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, उनके लिये बड़े जोर शोर से बोलते हैं दूसरों को इंटरप्ट करते हैं बोलने से, आज वे ही सम्मानित साथी ये कहने लग जायें कि इस बिल को पास नहीं करना चाहिये तो बात साफ हो जाती है कि उनके दिलों में कर्मचारियों के हित की बात नहीं थी वे तो अपने राजनीतिक

स्वार्थ के लिये केवल उसकी मुखालिफत करते थे। यह रिजोल्यूशन पास कर देना मैं समझता हूं कि न उन कर्मचारियों के हित में है न ही कारपोरेशन के हित में है। इसलिये मैं इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं। यह प्रार्थना करता हूं विरोधी साथी से कि अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें और इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें ताकि कर्मचारियों का, दिल्ली के नागरिकों का और म्यूनिसिपिल कारपोरेशन का काम तेजी से चले और उनको सुविधाएं मिलें।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): I welcome The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1987. In view of the recommendations of the Fourth Pay Commission, the pay-scales of the employees of the Municipal Corporation of Delhi have also been revised. On that ground, it is good that the employees get the benefit and they are not deprived of their right. While supporting Mr. Malaviya's contentions, I would like to know why was the Ordinance promulgated. The Government could have brought it on the first day of the Session. We are not against it; we are not opposing it; we are only against the promulgation of the Ordinance.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): It had to be brought in the Lok Sabha.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Government could have brought it on the first day and I don't think anybody would have opposed it, and there was no need for Mr. Malaviya to bring in this Resolution. Mr. Malaviya's intention is not to oppose this Bill. He was only against the promulgation of this Ordinance. As he said, the Ordinance of 1987 was promulgated on 5th February 1987 to amend Section 90(8) of the Municipal Act with a view to provide that Category 'A' post means any post which, having regard to its scale of pay or emoluments, would be classified as such under the Central Government in accordance with the orders issued by that Government from time to time. Similar is the case of category 'B' posts.

The Ordinance was promulgated on 5th February. The Parliament met on 23rd February, and there is not much time lag. So, the Government could have easily brought this Bill in the House itself. As Mr. Sen has enquired, I would also like to know from the hon. Minister, while giving this facility to its employees, whether the employees of any other municipality comes under this category. If so, what Government is going to do in this respect?

With these words, I welcome this Bill. My only point is that Government should desist from the practice of promulgation of Ordinances on every issue. This is what agitates our mind. I hope, the hon. Minister will clarify this.

श्री शमीम अहमद सिद्दीकी (दिल्ली): वाईस चैयरमैन साहब, मैं दिल्ली म्यूनिसिपिल कारपोरेशन तरमीमी बिल जो पेश किया गया है, उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि अभी मेरे साथी ने काफी बजाहत के साथ उस बिल की हिमायत की, उन्हीं के अल्फाज के साथ-साथ मैं भी अपने अल्फाजों को जोड़ता हूं।

यह बात ठीक है कि 5 फरवरी, 1987 को राष्ट्रपति जी ने एक आर्डिनेंस जारी किया और उसके तहत म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने जो चौथे पे कमीशन की सिफारिशात को मंजूर करते हुए अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई और जो भत्ते वगैरह मरकजी हुकूमत के बराबर में थे, वह हमने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के इम्पलायीज को दिये हैं। उसकी वजह से, जैसा कि अभी बताया गया कि वहां पर कुछ चीजें ऐसी हुई कि "ए" ग्रुप के जो हमारे मुलाजमीन थे, तनख्वाहें बढ़ने के बाद

[श्री शमीम अहमद सिद्दीकी]

"बी" ग्रुप के जो हमारे मुलाजमीन थे, वह भी "ए" ग्रुप में शमिल हो गये ।

आप जानते हैं कि दिल्ली शहर के अंदर और दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन तहत कितने भी हमारे महकमें आते हैं, उन महकमात की तरक्की और खुशहाली के लिए जो काम चल रहे हैं, उनमें रुकावट आ रही थी, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि इस पे कमीशन की सिफारिशात को लागू करने के बाद हमारे कारपोरेशन के जो स्कूल है, उनके अंदर बहुत सी वैकेंसीज खाली थीं, उन वैकन्सीज को पूरा करना बहुत जरूरी था क्योंकि एक या दो महीने के बाद जो बच्चों के इम्तहान होने वाले हैं, अगर आर्डिनेंस के जरिए उन वैकेंसीज को पूरा न किया जाता, तो हमारे बच्चो की तालीम पर भी बहुत असर पड़ता ।

मैं समझता था कि हमारे आपोजीशन के भाई, जिन्होंने अभी उस बिल के मुकाबले में अपना एक रेजोल्यूशन पेश किया, वह इस बात की दलील है कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई भी काम अच्छे किस्म का हो, या कोई भी पब्लिक के हित में काम हो, उनमें रुकावट जरूरी समझते हैं कि उसके पर जब तक कि कोई रेजोल्यूशन पेश न किया जाए, कोई उसके अंदर उसकी मुखालफत न की जाए, उस वक्त तक रेजोल्यूशन को कामयाबी को वह नहीं समझते हैं ।

मैं समझता हूं कि हुकूमत ने बरवक्त यह कदम उठा कर उन सैंकों कारपोरेशन के मुलाजमीन को वह राहत पहुंचाई है, जिससे उनके अंदर जो बेइतमादी थी, वह दूर हुई और उसके साथ-साथ वह सैंकड़ोंवैकेंसीज जो कारपोरेशन के अंदर, हैल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर खाली पड़ी थी, उनको पूरा किया गया । मैं इन शब्दों के साथ इस बिल की जबरदस्त हिमायत करता हूं और यह अपील करता हूं कि जो रेजोल्यूशन पेश किया गया है, उसको विदड्रा करें और युनैनीमस इसको पास करके यह साबित करें कि जो फैसला राज्य सभा से जाएगा, वह गरीबों के हित में जाएगा और गरीबों को उससे फायदा पहुंचेगा । मैं इन अल्फाज के साथ आपका धन्यवाद करता हूं ।

SHRI J. P. GOYAL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support Mr. Malaviya's Resolution as well as the Bill. I support both. The reason is, as Mr. Malaviya has said, Government should avoid this practice of promulgating Ordinances, specially when the House is going to meet. My friends on the other side said that this was a good Ordinance, in favour of the workers. I quite agree. The point is, the Ordinance was promulgated on the 5th February, 1987. Parliament was to meet on the 23rd February, 1987. On the opening day itself, the Bill could have been brought forward giving retrospective effect from whatever date contemplated or mentioned in the Ordinance. There is no difficulty about it. Therefore, I quite agree with Mr. Malaviya that this practice of promulgating Ordinances should be avoided and, as far as possible, everything should be done in Parliament and only in rare cases, Ordinances should be promulgated. I quite agree with the argument of my friend on the other side that at that very moment the Ordinance was required, that it was a good Ordinance in favour of the workers and the employees, and that is why we are supporting the Bill but, if the Bill had been introduced in Parliament on 23rd February, retrospective effect could have been given to this very Bill with effect from 5th February just as it is being done, it would have been all the more good. Where was the difficulty? Why are you issuing Ordinances? This is just to please some people momentarily, but at the same time, you are not acting according to

law, as the Constitution requires. The Government should not have so much power of issuing Ordinances from time to time. You are issuing Ordinance in every matter. Why don't you bring the legislation in Parliament, give retrospective effect if you like? With these words, I support the Resolution of Shri Malaviya as well as the Bill.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1987 जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के संबंध में कहा गया है : "दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 90 (8) दिल्ली नगर निगम के अधीन प्रवर्ग के पद के रूप में परिभाषित करती है जिसका न्यूनतम मासिक वेतन 700 रुपये से अन्यून है और प्रवर्ग ख पद को ऐसे पद के रूप में परिभाषित करती है जिसका न्यूनतम मासिक वेतन 550 रुपए है और जो प्रवर्ग क पद नहीं है। दिल्ली नगर निगम उन्हीं वेतनमानों का अनुसरण करता है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार के समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के वेतनमानों के चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर पुनरीक्षण के कारण दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण भी किया गया है। नए वेतन के ढांचे में सरकारी सेवक का न्यूनतम वेतन 750 रुपए से प्रारंभ होता है। अतः मूल अधिनियम की धारा 90(8) के विद्यमान उपबंधों के अधीन दिल्ली नगर निगम के सब पद प्रवर्ग क पद हो जाते हैं। अधिनियम की धारा 96 के अधीन किसी प्रवर्ग क पद पर नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात् ही की जा सकती है अन्यथा नहीं।"

ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों में, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1987 मूल अधिनियम की धारा 90 (8) में संशोधन करने के लिए 5 फरवरी, 1987 को इस दृष्टि से प्रख्यापित किया गया था कि यह उपबंध किया जा सके कि प्रवर्ग क पद और प्रवर्ग ख पद से कोई ऐसा पद अभिप्रेत है जो, यदि ऐसा पद केन्द्रीय सरकार में होता तो वह उस सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उसके वेतनमान या उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए; केन्द्रीय सरकार के अधीन उस समूह के पद के रूप में वर्गीकृत किया जाता। यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 से उद्धरण : इस धारा में और धारा 92 में—"प्रवर्ग के पद" से ऐसा कोई पद अभिप्रेत है जिसका न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़कर) सात सौ रुपए से कम नहीं है और उसमें कोई ऐसा अन्य पद भी है जिसे केन्द्रीय सरकार उससे संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, प्रवर्ग के पद के रूप में घोषित करती है, परन्तु ऐसी कोई घोषणा संघ लोक सेवा आयोग (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "आयोग" कहा गया है) से परामर्श करने के पश्चात ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

"वर्ग ख पद" से ऐसा कोई पद अभिप्रेत है जिसका न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़कर) पांच सौ पचास रुपए या उससे अधिक है और जो पद प्रवर्ग क पद नहीं है तथा उसमें कोई ऐसा अन्य पद भी है जिसे केन्द्रीय सरकार, उससे संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, वर्ग ख पद के रूप में घोषित करती है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक लाया है उसका हम समर्थन करते हैं। और जो

[श्री कल्पनाथ राय]

आर्डिनेन्स भी लाया है, उसका भी समर्थन करता हूं। किसी भी सरकार को चलाने के लिए आर्डिनेन्स लाना पड़ता है। दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी है, जितने भी जनतांत्रिक राष्ट्र हैं, चाहे वह इंगलैंड हो या अमरीका हो, सभी मुल्कों में आर्डिनेंस आते हैं और आवश्यकता के अनुकूल कानून बनाते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, इसके विकास के लिए आपने डी०डी०ए० बनाया है; दिल्ली डवलपमेंट अथोरिटी बनाई है, आपने म्युनिसिपल कारपोरेशन बनाया है, इसके अलावा आपकी हाऊसिंग मिनिस्टरी अलग काम करती है। इस प्रकार तीन-तीन माध्यमों से आप दिल्ली के विकास की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन तीनों,—दिल्ली डवलपमेंट अथोरिटी, म्युनिसिपल कारपोरेशन और हाऊसिंग मिनिस्टरी को कम्बाइण्ड करके कोई एक अथोरिटी बनाइए और उसके लीडरशिप में दिल्ली के विकास का काम किया जाना चाहिए और उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके वेतनमानों की श्रेणियां भी बना देनी चाहिएं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां की आबादी लगभग 70-80 लाख की हो रही है शीघ्र इसकी आबादी एक करोड़ होने वाली है क्योंकि भारत के अन्य भागों से भी भारी संख्या में लोग भागकर दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों के जीवनस्तर से यह निश्चित है कि देहात के क्षेत्रों की अपेक्षा यहां के लोगों को जीवन की सुविधाएं ज्यादा आराम से मिलती हैं। यही कारण है कि यहां दिल्ली में भारी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन मुझे एक बात का डर है कि यदि आपने एक अथोरिटी अधीन दिल्ली के विकास का कार्य नहीं किया तो आने वाले दिनों में दिल्ली कहीं स्लम-सिटी न बन जाय। आज पुरानी दिल्ली की हालत क्या है, पुरानी दिल्ली आज बिल्कुल स्लम-सिटी बन गयी है और नई दिल्ली में भी स्लम की कंडीशन पैदा होती जा रही है। आज दिल्ली डवलपमेंट अथोरिटी के द्वारा जो मकान बन रहे हैं वह खराब हैं और उसमें तरह-तरह की प्रोब्लम हैं, इधर दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के अलग नियम हैं, दिल्ली डवलपमेंट अथोरिटी के अलग नियम हैं और आपकी हाऊसिंग मिनिस्टरी के अलग कानून हैं, आपके कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियां हैं अलग-अलग श्रेणी में बंटे हुए हैं। इसलिए दिल्ली का विकास करना है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह दिल्ली के विकास के लिए एक अथोरिटी बनाएं सिंगल अथोरिटी, नहीं तो आपके वश में नहीं है कि आप दिल्ली को मैनेज कर सकें। जहां तक कर्मचारियों के वेतन का है, आपने 750/—रुपए कम से कम रखा है यह आपकी व्यवस्था है, लेकिन अगर आप मूल्य-सूचकांक देखेंगे जिस रफ्तार से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे राजधानी में रहने वाले व्यक्ति का जीवन कठिन हो रहा है, इसको आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको अपनी इस सारी व्यवस्था के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी गांव में अगर रहना चाहे तो उसके जीवन की अत्यन्त कम आवश्यकताएं होती हैं, कम आवश्यकताओं से अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई व्यक्ति छोटे से छोटे फ्लेट में भी रहना चाहे तो उसकी यहां आवश्यकताएं बहुत हैं, अगर वह बस से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे तो उसे एक रुपया किराया देना पड़ेगा, यहां उसका जीवन कठिन है।

मेरा निवेदन है कि दिल्ली को एक आधुनिक प्लानिंग के अंतर्गत लाना चाहिए। सदन में इस समय दिल्ली के प्रख्यात लोकप्रिय नेता भगत जी मौजूद हैं, जिनका दिल्ली के जीवन से बड़ा गहरा रिश्ता है जो दिल्ली की 60-70 लाख जनसंख्या की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और मंत्री हैं, जिनके घर पर आप हजारों व्यक्तियों को देख सकते हैं। मुझे भी इनके घर जाने का अवसर मिला और मैंने देखा। यह केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके घर पर सबेरे ही दो हजार आदमी खड़ा मिलेगा कि यह हमारी समस्या है, डी०डी०ए० के लोगों ने हमारे घर को उजाड़ दिया, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने हमारी झुग्गी-झोपड़ी तोड़ दी, हमारे यहां नल की, सड़क की समस्या है, हम खाने बगैर मर रहे हैं दिल्ली के हजारों-हजार आदमी अपने प्रतिवेदन और मेमोरंडम लिए इनके घर पर मौजूद रहते हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यह बिल तो छोटा मोटा बिल है इससे कर्मचारियों का लाभ होगा, इसका समर्थन करें। आदरणीय मालवीय जी ने इसका समर्थन किया है, कांग्रेस के सदस्यों ने समर्थन किया है, सभी विरोधी दलों के लोगों ने भी समर्थन किया है। श्री जे० पी० गोयल जी ने भी इसका समर्थन किया है, किन्तु उनकी शिकायत यह है कि संसद के अधिवेशन के पहले क्यों आर्डिनेंस निकाला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार का काम हमेशा आगे बढ़ता रहता है उसके लिए चाहे आर्डिनेंस निकालना पड़े, पार्लियामेंट के सेशन में भी सरकार को आर्डिनेंस करना पड़ता है। यह तो एक प्रक्रिया है काम करने की। उसके माध्यम से यह कहना कि आर्डिनेंस क्यों निकाला गया, उचित नहीं है। हमारे रेड्डी जी नहीं जानते हैं कि तेलगु देशम की सरकार ने कितने आर्डिनेंस निकाले ? एन०टी०आर० आर्डिनेंस निकालें तो अच्छा है, कांग्रेस सरकार निकाले तो ठीक नहीं है ? मीठा मीठा गप्प, कड़वा-कड़वा थू, आप न किया करें। यह बात आपकी समझ में नहीं आती है कि एन० टी० आर० ने कितने आर्डिनेंस निकाले ? इसलिए दिल्ली नगर निगम जो कि भारत की राजधानी है उसके समन्वित विकास के लिए, उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह डी० डी० ए०, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन और वर्क्स हाउसिंग मिनिस्ट्री तीनों की एक अथारिटी बनाए तो एक ही बोर्ड के नीचे काम करे, तभी हम दिल्ली के चतुर्दिक विकास, उसके सर्वांगीण विकास की बात कर सकेंगे और उस अथारिटी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके जीवन के विकास के संबंध में आप सोच सकेंगे और अपनी नौकरशाही को भी इसके काम में अच्छी तरह से लगा सकेंगे।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, डी०डी०ए० का जो सताया हुआ होता है वह म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास जाता है जो म्युनिसिपल कारपोरेशन का सताया हुआ होता है वह दौड़कर हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास जाता है और आम जनता को यह पता ही नहीं होता कि वह किस अथारिटी के पास जाए जहां कि उसकी ग्रिवांसेज का हल हो सके। यह बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की जनता के सामने और दिल्ली की हालत यह है कि यहां पर प्रतिदिन एक हजार, दो हजार तीन हजार, चार हजार और पांच हजार आदमी आते हैं और दिल्ली की आबादी आज जो 70 लाख से ऊपर है वह बढ़ते-बढ़ते एक करोड़ हो जाएगी और दो करोड़ होने वाली है। (समय घंटी)

इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान दिल्ली के समग्र विकास की ओर खींचना चाहता हूं और चाहता हूं कि इसके समग्र विकास के लिए वह सोचे, विचार करे और इसके लिए ठोस कदम उठाए ताकि दिल्ली के विकास में लगे कर्मचारियों का लाभ हो

[श्री कल्पनाथ राय]

और उनकी शक्ति को इसके प्लांड विकास के लिए लगाया जा सके। अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारी इकानामी में बुंआएंसी है हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है। इसलिए आप दिल्ली के समग्र विकास के लिए दिल्ली अथारिटी की तरफ से कुछ वांड्स जारी करें जिनके माध्यम से दिल्ली के विकास के लिए करोड़ों, अरबों रुपए आपको मिल सके और उनके माध्यम से आप अपने कर्मचारियों का भी भला कर सकें और दिल्ली का भी विकास कर सकें। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है उसकी गणना भी विश्व की राजधानियों में हो सके, यह आपका लक्ष्य होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं और उसके उद्देश्यों और कारणों का समर्थन करता हूं और इसके लिए जो उन्होंने आर्डिनेंस जारी किया उसका भी समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1987. There is nothing that one can say about this Bill and can oppose this Bill. I also do not dispute the authority of the Government to issue ordinances because this is a part of the Constitutional process and this must be done.

But my friend, Mr. Panigrahi is also the Home Minister. As the Home Minister, apart from the Minister who is piloting this Bill, he has a certain responsibility, and the responsibility that devolves on him is courtesy to Parliament, and I have to tell him only about that. As I said, I do not dispute the authority of the Government to issue ordinances. If this Ordinance had been issued on 29th of January, I would have heartily supported it; instead of issuing it on the 5th February, if it had been issued on the 29th of January, only six days earlier, I would have heartily supported it and said that the Government has done whatever was correct. But here is a piece of paper called "the summons to the Members of Parliament," inviting us to attend the session, and this is dated 30th of January. If this is dated 30th of January and the Ordinance is being issued on the 5th of February, it looks to me to be discourtesy to the Members of Parliament.

With this small observation, I heartily support the Bill and hope that the hon. Home Minister will see to it that in future any ordinance that is brought is not brought in a manner I have illustrated.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): I shall now request the mover of the Resolution, Shri Satya Prakash Malaviya, to reply to the debate.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय, मैंने शुरु में ही इस बात का निवेदन किया था कि नगर निगम संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं और इसका कारण मैंने यह बताया था कि इससे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को लाभ होने वाला है और चौथे आयोग की जो संस्तुतियां है उसके हिसाब से जो संशोधन किया है जिसका स्पष्ट विवरण उद्देश्यों में भी दिया गया है उसको हमारे मित्र श्री कल्पनाथ राय ने पढ़ने की कृपा की। इसलिए इस सम्बन्ध में किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं विधेयक का विरोध करता हूं। साथ ही साथ कल्पनाथ राय जी की इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए आवश्यक है कि यहां जो 3-4 संस्थाएं हैं उनका एकीकरण ही न किया जाये बल्कि दिल्ली वासियों की तरफ से जो बहुत दिनों से मांग है कि दिल्ली में विधान सभा होनी चाहिए, उसे भी पूरा किया जाये।

दिल्ली में दिल्ली की अपनी सरकार होनी चाहिए, दिल्ली वासियों का अपना एक मुख्य मंत्री होना चाहिए। बहुत पहले दिल्ली में विधान सभा थी, दिल्ली में मंत्रिपरिषद होती थी, मुख्य मंत्री भी होता था। इसीलिए दिल्ली-वासी बार-बार इस बात को रखते रहे हैं। प्रधान मंत्री जी को भी अपना प्रतिवेदन दिया है गृह मंत्री को भी अपना प्रतिवेदन दिया है, लोक सभा और राज्य सभा में भी इस बात की आवाज उठाई जा चुकी है इसलिए मैं पुन: इस बात की मांग रखता हूं कि दिल्ली में विधान सभा स्थापित की जाए, दिल्ली में मंत्री परिषद हो, मुख्य मंत्री हो।

साथ ही साथ मैं इस बात को भी रखता हूं कि अध्यादेश के जरिये कानून को बदलने की परिपाटी अच्छी नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र श्री मट्टू जी ने कहा कि यह संसद के अधिकारों पर कुठाराघात ही नहीं है बल्कि संसद की उपेक्षा है। मैं फिर चाहूंगा कि गोयल जी ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कानून रिट्रोस्पेक्टिव, पूर्व प्रभावित तारीख से लागू किया जाए, इसको माना जाये। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह पांच फरवरी को अध्यादेश लाये इसकी इतनी जल्दी क्या आवश्यकता थी? क्या आप 18 दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे जब कि सत्र आरम्भ होने वाला था? इसका भी आप स्पष्टीकरण कर दें। हम लोगों के मन में जो शंका है वह दूर हो जाएगी यदि आप इसका स्पष्टीकरण कर दें। इन शब्दों के साथ मैं फिर जोरदार ढंग से कहता हूं कि जो मेरा निरनुमोदन प्रस्ताव है संविधान के अनुच्छेद 130, सब क्लाज 2, उपधारा-ए के अन्तर्ग्रस्त इसको सदन स्वीकार करने की कृपा करे।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I am extremely grateful to the hon. Members and also to the mover of the Resolution, hon. Shri Malaviyaji, for the kind words that they have expressed in support of this Amendment and also for the expression of their feelings about the promulgation of this Ordinance on the 5th of February when the House was going to meet on the 23rd of February. I think some of the argumen which were put forward by the mover, the hon. Member, Shri Malaviyaji, have been well met by our hon. friends Shri Laxmi Narain, Shri Shamim Ahmed Siddiqi, Shri Kalpnath Rai and others. Because they are associated with the workers and the employees of the Municipal Corporation of Delhi and they are from the trade unions, I hope they understand the feelings and I hope almost all of you have understood the feelings of the employees of the MCD and do appreciate that thing.

In the beginning I would thank the Municipal Corporation of Delhi that while other Union Territories have not been able to accept or implement the Fourth Pay Commission's Recommendations, the Municipal Corporation of Delhi have kept up to their tradition which proves that they are pro-employees. Therefore, they have immeditaely accepted and implemented the recommendations of the Fourth Pay Commission.

Now, in regard to the question why we promulgated this ordinance, I may say it was done because of some difficulties. As you know the Central Government issued this Ordinance amtnding Section 90(8) of the Municipal Corporation of Delhi Act bringing the MCD employees at par with the Central Government categorisation of the Officers and staff. Following the amendment, the category C employees of the civic body were included in category C and D employees of the Central Government. Under the MCD Act there were three category employees—category A, category B and category C, but in the Central Government there is one more category—category D. Now the MCD employees have been brought at par

[Shri Chintamani Panigrahi]

with the Central Government Officers and staff. After the announcement of the Fourth Pay Commission's Report the MCD was in a dilemma because all its employees became category A employees. This happened because the Commission fixed Rs. 750 as the minimum basic salary while the basic salary of category A employees of the MCD started at Rs. 700. As per the recommendations even Peons or Safai Karamcharis became category A employees. This took away the powers of the Municipal Commissioner, who is the executive head of the civic body. He could not even make appointments of a peon without refering it to the UPSC. That is why Shri Malaviya should understand why there was urgency for formulating this ordinance. I share his feeling why it was done on 5th while the session was going to be held on the 23rd. This was done because this was so urgent. Mr. Matto will understand this because he has a very sympathetic attitude. We are showing the highest respect to Parliament. It is evident from the fact that we are admitting any issue any time that comes up and are allowing free and fair expression of views by any hon. Members because we are also part of it. Therefore, there is no question of showing any disrespect. I hope Mr. Matto will agree to what I say. This was done because the M.C.D. were in great difficulties because of the above mentioned situation. There were so many employees whose confirmation, categorisation, and recruitment had to be done, but the civic head could not do anything in the changed situation. I think Shri Reddy wanted this information. From 5-2-1987 to 16-3-1987 the Municipal Corporation had started the process of appointments confirmations, regularisations in 1,886 cases. Even that could havt been prolonged. There was agitation The employees of the Municipal Corporation were very much agitated and for every single case they should have gone to the UPSC. Every single case of confirmation of a Peon should have gone to the U.P.S.C. From 5.2.1987 to 16.3.1987 Municipal Corporation Delhi has processed or started the process of apopintments, confirmations, regularisations in 1886 cases. Regularisation in 360 cases, apopintment in 343 cases, confirmation in 53 cases and appointment process has started in 1,110 cases. You can understand if these things could have gone to the U.P.S.C. it would have created lot of difficulties and problems for the Delhi Municipal Corporation employees. There are 17 categories whose pay scales were revised. In case of Upper Division Clerk the pay scale is Rs. 1200—2040 and the number of posts was 258. These posts were regularisesd within a few days. In the case of Junior Stenographer the revised pay scale is Rs. 1400—2300. The number of posts was 47. Theses posts were regularised. Similarly, there are other posts like Lab. Attendant, Head Clerk, Nursery Teacher, Assistant Teacher, Sanitary Inspector, Peon, Chowkidar, etc. As I said earlier, the total posts were 1,886, some of them had to be appointed, some of them had to be regularised. Just to help the Municipal Corporation of Delhi to tide over the dilemma which they were put to after accepting the recommendations of the Fourth Pay Commission, this problem arose. I think, Mr. Matto suggested, why we have not done it in January itself. Yes, I agree with him. We could have done it earlier also because by the time they accepted the recommendations of the Fourth Pay Commission, certain formalities had to be worked out. If anything comes to my notice in future I will try to see that it is done in time and no delay takes place.

Sir, section 90(8) of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 defines category 'A' post under the Municipal Corporation of Delhi as any post with a minimum monthly salary of not less than Rs. 700 and category 'B' post as any post with a

monthly minimum salary of Rs. 550 and which is not a category 'A' post. The Municipal Corporation of Delhi follows the same pay scales as are prescribed for the Central Government employees and the Municipal Corporation of Delhi has accordingly revised the pay scales of the employees except Group 'A' employees as per the recommendations of the Fourth Pay Commission. Consequently as per the provisions of section 90(8) of the Delhi Municipal Corporation Act all posts under the Municipal Corporation became category 'A' posts. Under section 96 of the Act, no appointment to any category 'A' post can be made, except after consultations with the U.P.S.C. This could have resulted in virtual stoppage of the recruitment to various posts under the Municipal Corporation of Delhi. Therefore, this ordinance was very much needed. Moreover, this is an ordinance which was promulgated with the sole purpose of safeguarding the interests of the large number of M.C.D. employees as the issues were agitating their minds very much. In view of the urgency of the matter, the President promulgated on the 5th February, 1987 the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1987 to avoid the difficulty caused in the recruitment to posts under Municipal Corporation of Delhi.

Therefore, section 90(8) of the principal Act has been properly substituted. The provision has been deleted which provides for reference to the U.P.S.C.

I think Mr. Sukomal Sen mentioned about the Chandigarh Union territory employees. I am very happy that he raised this point. Only two days back large number of employees of Chandigarh Municipal Corporation came and met me and they have submitted their difficulties. The question of Central pay scales to Chandigarh U.T. employees is under consideration of the Government and I hope a decision would be soon taken, may be within next two or three weeks so that we can also look to their interests and lastly. Sir, after this, we are going to pass this Bill and then the ordinance will be repealed and I am very happy that almost all sections of the House have rendered their full support to this Bill and I may now request the mover of the resolution Shri Satya Prakash Malaviya to kindly withdraw it because we have understood the sentiments of the hon. Members. Therefore, I would appeal to the mover to kindly withdraw the resolution. With these words, I commend that the Bill be passed.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): Now, I shall put the resolution of Shri Satya Prakash Malaviya to vote. (*interruption*)

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I have forgotten to refer to a suggestion of Shri Kalpnath Rai. He made a very good suggestion that there are so many authorities functioning in Delhi. This is a very good suggestion that he has given and from many quarters, this suggestion has come that why not have a unified single authority for Delhi so that they look to the growing problems in such a fast expanding city of Delhi. I think, this suggestion is a very concrete suggestion and will be considered by the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): Mr. Minister, if possible, you should also consider the suggestion made by Mr. Sukomal Sen about Chandigarh employees.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I thank him that he raised this point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): I shall now put the resolution of Shri Satya Prakash Malaviya to vote.

[Shri P. N. Sukul]

The question is:

"That this House disapproves of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1987 (No. 1 of 1987) promulgated by the President on the 5th February, 1987."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): Now, I shall put the hon. Minister's motion to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

4.00 P.M.

I. RESOLUTION *RE.* APPROVAL OF RECOMMENDATIONS OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE, 1985.

II. THE BUDGET (RAILWAYS), 1987-88—GENERAL DISCUSSION

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move the following resolution:—

"That this House approves the recommendations made in paragraphs 8 to 12 contained in the Seventh Report of the Railway Convention Committee, 1985, appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance, which was presented to the Parliament on the 24th February, 1987."

Sir, by a resolution adopted in Lok Sabha on 20th March, 1985 and concurred in by Rajya Sabha on 28th March, 1985, the Railway Convention Committee, 1985 was constituted on the 21st of May, 1985. The Committee was appointed "to review the rate of dividend which is, at present, payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway finance *vis-a-vis* the General Finance to make recommendations thereon" for the Seventh Plan period 1986-1990. The Ministry of Railways submitted a second interim memorandum requesting the Committee to permit continuance of the financial arrangement between the Railways and the General Revenues as recommended by the Railway Convention Committee of 1980 and adopted by the Committee for 1985-86 and 1986-87 pending their final recommendations for the Seventh Five Year Plan. The Railway Convention Committee 1985 have since considered the interim memorandum and have agreed to the proposals made by the Ministry of Railways subject to retrospective adjustments after the final recommendations of the Committee are available in due course. With these words I commend the Resolution for the consideration of the House.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. N. SUKUL): The Resolution and the Railway Budget are now open for discussion, Mr. Sukomal Sen.